परिशिष्ट-

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3464 द्वारा श्री उमंग सिंघार, माननीय सदस्य विधानसभा

विगत 02 वर्षो में धान एवं गेहूँ खरीदी के दौरान पंजीयन एवं भुगतान प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	उपार्जन सीजन वर्ष रबी/खरीफ	अनियमितता	अनियमितता पर की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
01	मैहर	धान 2024-25	सेवा सहकारी समिति मनकीसर द्वारा धान उपार्जन में परिदान के समय 6526.67 क्विंटल की शार्टेज की गई।	खरीदी प्रभारी समिति प्रबंधक एवं समिति ऑपरेटर के विरूद्ध प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	माननीय उच्च न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है।
02	सतना	गेहूँ 2023-24	जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह के द्वारा गेहूँ उपार्जन में अनियमितता।	भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुपालन में धारा 406, 417,420,467,468,471 एवं 120 बी के तहत 09 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।	प्रकरण उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है।
		धान 2024-25	सेवा सहकारी समिति देवमऊ दलदल केन्द्र, देवमऊ दलदल स्थल सियासील वेयरहाउस द्वारा धान उपार्जन में शार्टेज की गई।	संस्था के प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी से कुल उपार्जित मात्रा 54341.1 क्विंटल के विरूद्ध 1599.28 क्विंटल धान की शार्टेज पाई जाने पर शार्टेज की 25 प्रतिशत राशि 919586 रूपये की वसूली की गई। शेष 75 प्रतिशत राशि की वसूली वेयरहाउस संचालक से किया जाना है।	प्रकरण उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है।
		गेहूँ 2025-26	सेवा सहकारी समिति सेजहटा, केन्द्र हिनौती स्थल जबला बाबा वेयरहाउस द्वारा गेहूँ उपार्जन में शार्टेज।	संस्था के प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी एवं वेयरहाउस संचालक द्वारा कुल उपार्जित मात्रा से 410.5 क्विंटल मात्रा कम पाये जाने पर संबंधित समिति प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी एवं गोदाम संचालक के विरूद्ध 50-50 प्रतिशत राशि अधिरोपित की गई।	संबंधित संस्था के केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक एवं वेयरहाउस संचालक से वसूली की कार्यवाही की गई।

03	रीवा	धान 2024-25	सेवा सहकारी समिति बीडा द्वारा धान उपार्जन में शार्टेज से 63 किसानों का भुगतान नही हुआ।	समिति को ब्लैक लिस्टेड किया गया। समिति प्रबंधक के विरूद्ध निलंबन तथा खरीदी प्रभारी एवं सर्वेयर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।	प्रकरण तहसील सेमरिया एवं माननीय उच्च न्यायलय में प्रचलित है।
		गेहूं 2025-26	सेवा सहकारी समिति सिलपरा में गेहूं शार्टेज से 08 कृषकों का भुगतान नही हुआ।	समिति प्रबंधक से आरआरसी वसूली की जाना है।	वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।
04	जबलपुर	धान 2023-24	सेवा सहकारी समिति नुनियाकला में 20 किसानों के भुगतान के संबंध में शिकायत प्राप्त।	जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा अनुसार 20 कृषकों के धान की मात्रा 4011.02 क्विंटल की राशि 8756056.66 रूपये की वसूली भू-राजस्व की भांति किये जाने का निर्णय लिया।	वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।

अनुभाग अधिकारी,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय